न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–15 / 2025
GCMS NO:- 2025/186

दायर दिनांक: 26.6.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

प्रभूलाल आ0 लोडक्या जाति मीणा नि0 पीपरवाला तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ जिला बून्दी।
2. बृजमोहन आ0 माधो जाति नाथ नि0 पीपरवाला तहसील नैनवॉ।
3. पप्पूलाल आ0 रामनारायण गोद पुत्र रामदेव जाति बैरवॉ नि. अर्जुनपुरा तहसील नैनवॉ।
4. प्रहलाद आ0 रामनारायण जाति मीणा नि0 पीपरवाला तहसील नैनवॉ।
5. रामराज आ0 प्रहलाद जाति मीणा नि0 पीपरवाला तहसील नैनवॉ।
6. पहलवान आ0 प्रहलाद जाति मीणा नि0 पीपरवाला तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिनारायण स्वामी।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम पीपरवाला प0म0 खजुरा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 68 की खसरा नम्बर 392 रकबा 1.6746 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसके पास प्रत्यार्थीगण 2 लगायत 6 के खेत आ रहे है जो पुरानी पत्थरगढी की सीमाओं को और वर्तमान मे करायी गयी सीमाज्ञान को नही मान रहे है। वे लडाकू किस्म के अपराधी किस्म के व्यक्ति है जो प्रार्थी की कृषि भूमि की मेर को तोडकर पुराना चिन्हो को तोडकर नष्ट भ्रष्ट कर रहे है तथा वर्तमान मे सीमा चिन्हो को नष्ट कर दिया है। मना करने पर झगडा व मारपीट करने पर उतारू हो रहे है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति, शपथ पत्र आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जो कि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है, की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। चुंकि उक्त प्रार्थना पत्र एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है एवं उक्त भूमि का पूर्व मे सीमाज्ञान भी हो चुका है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम पीपरवाला प0म0 खजुरा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 68 की खसरा नम्बर 392 रकबा 1.6746 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थी का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू- अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ